Putup — 02-06-25 for order

D.

A
5 07.10.24 Allowed
23/2/28
— lastchance DIE

## न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–57 / 2018

राज कुमार गुप्ता वगैरह.................................वादीगण

बनाम

रंजीत कुमार गुप्ता वगैरह..........................................प्रतिवादीगण

02.06.25 अभिलेख आज प्रतिवादी सं0–1, 2, 3 एवं 8 की ओर से प्रदर्श करने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–07.10.2024 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है। वादी को उपरोक्त आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल करने से वंचित कर दिया गया है।

अपने आवेदन में आवेदनांकित प्रतिवादीगण ने यह निवेदन किया है कि उनकी ओर से केवाला दस्तावेज सं0–8646, दिनांक–30.09.1950 की सच्ची प्रतिलिपि, खतियान बनाम अमरनाथ गुप्ता वगैरह की सच्ची प्रतिलिपि, केवाला सं0–7281, दिनांक–05.12.1994 की सच्ची प्रतिलिपि, केवाला सं0–12197, दिनांक–05.12.1994 की सच्ची प्रतिलिपि, केवाला दस्तावेज सं0–10127, दिनांक–26.12.1994 की सच्ची प्रतिलिपि तथा केवाला दस्तावेज सं0–8065, दिनांक–18.06.2001 की सच्ची प्रतिलिपि जो सभी दस्तावेज लोक दस्तावेज हैं तथा सुरक्षित अभिरक्षा पेटी में बन्द है, जिसकी चाभी प्रार्थी के पास है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी द्वारा दाखिल दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित किए जाने की कृपा प्रदान करें।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद प्रतिवादी साक्ष्य हेतु लंबित है तथा प्रतिवादीगण के द्वारा दाखिल दस्तावेजों की सच्ची प्रतिलिपियाँ है जो लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है तथा वादी को प्रत्युत्तर दाखिल करने से न्यायालय द्वारा वंचित कर दिया गया है, चूँकि उभय पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण एवं वाद के अंतिम विनिश्चयन हेतु प्रदर्श अंकन का अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन को वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन न्याहित में स्वीकृत करते हुए सभी दस्तावेज जो सुरक्षित अभिरक्षा पेटी में बन्द है। कार्यालय आवेदनांकित दस्तावेजों को प्रार्थी से चाभी लेकर उसके सामने बक्सा खोलकर आवेदनांकित दस्तावेजों की सच्ची प्रतिलिपि को क्रमवार प्रदर्श अंकित करें तथा प्रतिवादी को साक्ष्य पूर्ण करने हेतु अंतिम अवसर देते हुए आवेदन दिनांक–07.10.2024 पर सुनवाई हेतु भी अंतिम समय दिया किया जाता है।

वाद दिनांक– 30-06-2025 वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य हेतु अंतिम अवसर एवं सुनवाई आवेदन दिनांक–07.10.2024 पर अंतिम अवसर।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।